इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 302] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 23 जुलाई 2015—श्रावण 1, शक 1937

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2015

क्र. एफ-73-1-2015-अड़तीस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, उच्च शिक्षा विभाग (राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रूसा), मध्यप्रदेश शासन में संविदा आधार पर संविदा सेवाओं में भर्ती से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग राज्य परियोजना संचालनालय, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) संविदा सेवा नियम, 2014 है.

(2) ये नियम, मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे,—

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.

(क) ''संविदा सेवा'' से अभिप्रेत है इन नियमों में यथा विनिर्दिष्ट सेवा;

(ख) ''विभाग'' से अभिप्रेत है, राज्य परियोजना संचालनालय राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) मध्यप्रदेश;

(ग) ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

(घ) ''सरकार'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(ङ) ''विभागाध्यक्ष'' से अभिप्रेत है, परियोजना संचालक, राज्य परियोजना संचालनालय, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) मध्यप्रदेश, भोपाल;

(च) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(छ) ''चयन प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, परियोजना संचालक, राज्य परियोजना संचालनालय, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा), मध्यप्रदेश;

(ज) ''संविदा पर कार्यरत चयनित व्यक्ति'' से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन संविदा आधार पर कार्यरत कोई व्यक्ति;

(झ) ''राज्य'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य.

3. **विस्तार तथा लागू होना.**—ये नियम मध्यप्रदेश राज्य में **राज्य परियोजना संचालनालय, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)** में संविदा आधार पर चयनित एवं कार्यरत व्यक्तियों पर लागू होंगे;

4. **मासिक पारिश्रमिक एवं भत्ते** —(1) संविदा आधार पर चयनित एवं कार्यरत व्यक्तियों को इन नियमों से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार मासिक पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा;

(2) संविदा आधार पर कार्य कर रहे चयनित व्यक्ति मध्यप्रदेश शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों को लागू नियमों के अधीन निम्नानुसार यात्रा भत्ते के हकदार होंगे :—

(क) अधीक्षण यंत्री को उप परियोजना संचालक (डी.पी.डी.) को अनुज्ञेय यात्रा भत्ते के समतुल्य यात्रा भत्ता देय होगा ;

(ख) परामर्शियों एवं अनुभाग अधिकारियों, को **राज्य परियोजना संचालनालय, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)** के सहायक संचालक (द्वितीय श्रेणी अधिकारी) को अनुज्ञेय यात्रा भत्ते के समतुल्य यात्रा भत्ता देय होगा;

(3) संविदा पर कार्यरत चयनित किसी व्यक्ति को उतने दिनों के पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाएगा, जितने दिनों कि वह अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहा हो.

(4) विभागाध्यक्ष एवं चयनित व्यक्ति के बीच एक संविदा अनुबंध निष्पादित किया जाएगा जिस पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसे शासकीय अभिलेख में रखा जायेगा.

5. **चयन की रीति**—

(1) **पद**— पदों की संख्या वही होगी जो कि अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट की गई है.

(2) **चयन**— अनुसूची में सरल क्रमांक—1 से 5 तक में विनिर्दिष्ट पदों पर चयन, विभाग द्वारा गठित समिति द्वारा तैयार की गई चयन सूची में से किया जायेगा।

(3) **आयु सीमा**— संविदा चयन के लिये अधिकतम और न्यूनतम आयु की गणना उस वर्ष की जनवरी माह के प्रथम दिन के आधार पर की जाएगी जिसमें कि संविदा के लिये चयन किया जाना है। न्यूनतम तथा अधिकतम आयु ऐसी होगी जो अनुसूची—1 व अनुसूची—2 में विनिर्दिष्ट है।

(4) **सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों का चयन–** सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी/कर्मचारी भी सरकार द्वारा इस निमित्त समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार 63 वर्ष की आयु तक संविदा आधार पर चयन के पात्र हो सकेंगे।

(5) **न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता और पात्रता** – संविदा आधार पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं पात्रता ऐसी होगी जो कि अनुसूची–1 व अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट है।

(6) **आरक्षण.–** सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आरक्षण के प्रावधान इन सेवाओं में चयन हेतु लागू होंगे।

(7) **विज्ञापन.–** रिक्त पदों को राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तर के कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जाएगा और उसे विभाग की वेबसाईट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

6. **संविदा सेवा की कालावधि.–** संविदा पर व्यक्ति का चयन प्राथमिक रूप से दो वर्षों के लिये वैध होगा, जिसे उसके कार्य निष्पादन करने और कार्य की अत्यावश्यकताओं के आधार पर और एक वर्ष की कालावधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा। संविदा सेवा में वृद्धि की जाने की स्थिति में संविदा पर कार्यरत व्यक्ति का संविदा पारिश्रमिक अधिकतम दस प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकेगा।

7. **संविदा की कालावधि के दौरान अनुशासन और नियंत्रण.–**

(1) चयनित व्यक्ति से उसके कर्तव्यों का अनुपालन करने के दौरान अच्छा आचरण रखने की अपेक्षा की जाएगी।

(2) संविदा पर कार्यरत व्यक्ति को उसकी कार्यवाही के दौरान सरकार को हुई किसी भी हानि या उस पर अधिरोपित किसी लघु शास्ति के लिये उसके संविदा पारिश्रमिक से वसूली के लिये प्रत्याभूति/बंध पत्र निष्पादित करना होगा.

8. **आपराधिक क्रियाकलापों में ग्रस्त होने पर या अवचार के लिये किसी चयनित व्यक्ति के विरूद्ध कार्रवाई–** यदि कोई चयनित व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त पाया जाता है या नियम 7 के अधीन कोई अवचार करता है तो उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् किसी भी समय उसका चयन निरस्त किया जा सकेगा.

9. **नियंत्रण प्राधिकारी.–** संविदा पर कार्यरत कोई व्यक्ति, परियोजना संचालक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेगा.

अन्य शर्तें. —

(1) चयनित व्यक्ति को विहित प्ररूप में 100/— रूपये मूल्य के नॉन—ज्यूडीशियल स्टांप पेपर पर एक करार निष्पादित करना होगा। वह अपने कर्तव्यों का प्रभार लेने की तारीख से अपने कार्य के स्थान पर अपनी संविदा सेवा प्रारंभ करेगा एवं उसे अच्छे चरित्र एवं उनके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित न होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(2) ऐसे चयनित व्यक्ति को, जिसे चयन आदेश जारी किया गया है, अपनी पदस्थापना के स्थान पर चयन आदेश जारी होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर अपने कर्तव्यों का प्रभार लेना आवश्यक होगा। यदि व्यक्ति द्वारा उक्त कालावधि के भीतर प्रभार नहीं लिया जाता है तो चयन स्वतः निरस्त हो जाएगा। संविदा पर चयनित व्यक्ति द्वारा प्रभार ग्रहण करने की सूचना परियोजना संचालक को दी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करते समय उसे जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड/सिविल सर्जन द्वारा जारी उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(3) संविदा पर रखे गये व्यक्ति को एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 13 दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी. इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा घोषित किये गये सार्वजनिक अवकाशों की भी उसे पात्रता होगी। ऐसी महिला संविदाकर्मी को, जिसकी दो या दो से कम जीवित संतान हों, अधिकतम 90 दिवस के प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी। संबंधित कार्यालय प्रमुख को उक्त अवकाश स्वीकृत करने की शक्ति होगी।

(4) यदि कोई व्यक्ति जो संविदा आधार पर चयनित एवं कार्यरत हो, अपने कर्तव्य से बिना किसी पूर्व सूचना के पन्द्रह दिन से अधिक की कालावधि तक अनुपस्थित रहता है, तो उसकी संविदा सेवा, कार्यालय में उसकी अनुपस्थिति की तारीख से स्वतः समाप्त हो गई समझी जाएगी।

(5) संविदा आधार पर चयनित व कार्यरत् व्यक्ति, अपनी संविदा सेवा की कालावधि के लिये पेंशन संबंधी किन्हीं फायदों का हकदार नहीं होगा। उसे ऐसी कालावधि के लिये किसी भांति के बोनस का भुगतान भी नहीं किया जाएगा।

(6) संविदा आधार पर चयनित व कार्यारत व्यक्ति, शासकीय सेवा में नियमितीकरण का हकदार नहीं होगा।

(7) संविदा पर चयनित किसी व्यक्ति की संविदा किसी भी पक्षकार द्वारा एक माह की सूचना देकर या उसके बदले में एक माह का संविदा पारिश्रमिक देकर किसी भी समय निरस्त किया जा सकेगी।

(8) संविदा सेवा की अन्य समस्त शर्तें ऐसी होंगी, जैसी कि चयन आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं।

11. **निर्वचन.**— यदि इन नियमों के किन्हीं उपबंधों के निर्वाचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है, तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. विजय, उपसचिव.

अनुसूची–1

राज्य परियोजना संचालनालय, (राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान) में संविदा आधार पर भरे जाने वाले **कन्सल्टेन्ट** पदों का विवरण :–

अनु क्रमांक	पदों का नाम	मासिक संविदा पारिश्रमिक (रूपयों में)	पदों की संख्या	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	चयन का तरीका
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सीनियर कन्सलटेन्ट (वित्तीय)	45,000/– प्रतिमाह	1	एम.बी.ए. फाइनेन्स कन्सलटेन्सी/प्रशासनिक/मानव संसाधन विकास में 5 वर्ष का अनुभव	25	40	विभाग द्वारा चयन समिति के माध्यम से
2	कन्सलटेन्ट (फाइनेन्स/प्रोक्योरमेंट)	40,000/– प्रतिमाह	1	एम.बी.ए फाइनेन्स/सीए 3 वर्ष का अनुभव कन्सलटेन्सी/ प्रशासनिक/मानव संसाधन विकास में 3 वर्ष का अनुभव	25	40	विभाग द्वारा चयन समिति के माध्यम से
3	कन्सलटेन्ट (तक़नीकी)	40,000/– प्रतिमाह	1	एम.टेक/ सिविल इंजिनियरिंग में एम.ई कन्सलटेन्सी/प्रशासनिक/मानव संसाधन विकास में 3 वर्ष का अनुभव	25	40	विभाग द्वारा चयन समिति के माध्यम से
4	कन्सलटेन्ट प्रोग्रामिंग/एम.आई.एस.	40,000/– प्रतिमाह	1	कम्प्यूटर साइन्स में एम टेक प्रोजेक्ट कन्सलटेन्सी/ प्रशासनिक/मानव संसाधन विकास में 3 वर्ष का अनुभव	25	40	विभाग द्वारा चयन समिति के माध्यम से
5	कन्सलटेन्ट (प्लानिंग/मॉनिटरिंग)	40,000/– प्रतिमाह	1	एम. एस. डब्ल्यू अथवा स्नातकोत्तर उपाधि (रूरल डवलपमेंट/सोशल वर्क/लोकल गवर्नेंस/लाइफ स्किल एजूकेशन) में 3 वर्ष का अनुभव कन्सलटेन्सी/प्रशासनिक/मानव संसाधन विकास कार्य आदि में	25	40	विभाग द्वारा चयन समिति के माध्यम से

अनुसूची—2

ब — राज्य योजना संचालनालय के (राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत) प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा के अन्य पद —

अनु क्रमांक	पदों का नाम	मासिक संविदा परिश्रमिक		पदों की संख्या	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु (सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिये)	चयन का तरीका
		सेवा निवृत्त कर्मचारी	प्रतिनियुक्ति कर्मचारी					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अधीक्षण यंत्री	अंतिम वेतन से पेंशन राशि घटाकर शेष राशि देय।	मूल विभाग में प्राप्त वेतन	1	म.प्र. शासन के लोक निर्माण विभाग अथवा निर्माण विभागों से कर्मचारी/सेवानिवृत्त व्यक्ति	—	63 वर्ष जिसे 65 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।	विभाग द्वारा चयन समिति के माध्यम से
2	अनुविभाग अधिकारी	अंतिम वेतन से पेंशन राशि घटाकर शेष राशि देय।	मूल विभाग में प्राप्त वेतन	1	स्नातक /स्टोर व लेखा कार्य का अनुभव शासकीय कार्यालय में कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव	—	63 वर्ष जिसे 65 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है	विभाग द्वारा चयन समिति के माध्यम से

टिप्पणी —

(1) मध्यप्रदेश के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक अंतिम वेतन में से उनकी पेंशन राशि घटाकर दिया जायेगा। इस संविदा राशि पर किसी प्रकार का मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा। पेंशन प्राप्त करने तथा पेंशन पर देय राहत की पात्रता पृथक से अनुज्ञेय होगी।

(2) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 5 पद संविदा पर नियुक्ति के लिये नियुक्ति प्राधिकारी कलेक्टर दर पर आवश्यकतानुसार रोजगार कार्यालय के माध्यम से अथवा विज्ञापन द्वारा संविदा पर रखने के लिये अधिकृत होगें।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी — परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) नियुक्ति प्राधिकारी होंगे। राज्य परियोजना संचालनालय रूसा एवं विश्व बैंक परियोजना "उच्चतर शिक्षा में सुधार" के लिये भी उक्त नियम समान रूप से लागू होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. विजय, उपसचिव.

संविदा करार

(राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रूसा में संविदा पारिश्रमिक पर चयन के लिये)

प्रथम पक्षकार — परियोजना संचालक, उच्च शिक्षा विभाग (राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान), मध्यप्रदेश, चयन प्राधिकारी (जो इसमें इसके पश्चात् इस संविदा विलेख में प्रथम पक्षकार के रूप निर्दिष्ट है)।

द्वितीय पक्षकार — श्री / श्रीमती / कुमारी ....

(चयनित व्यक्ति) — पुत्र / पत्नी / पुत्री ....

आयु .... वर्ष ....

निवासी ....

....

(जो इसमें इसके पश्चात् इस संविदा विलेख में द्वितीय पक्षकार के रूप में निर्दिष्ट है)

उपरोक्त पक्षकार निम्नलिखित निबन्धनों तथा शर्तों पर सहमत हैं और तद्नुसार यह करार निष्पादित करते हैं, अर्थात् :—

1. यह कि उच्च शिक्षा विभाग राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा), मध्यप्रदेश में स्वीकृत संविदा पद .... पर द्वितीय पक्षकार का चयन नियत पारिश्रमिक पर किया जा रहा है जो कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक .... से केवल दो वर्ष का कालावधि के लिये वैध होगा. चयन दिनांक से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी. कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से संविदा अवधि पूर्ण होने पर द्वितीय पक्षकार शासकीय सेवा में नियमितीकरण का दावा नहीं करेगा. ऐसी स्थिति में इस करार संबंधी द्वितीय पक्षकार का किसी भी प्रकारं का विवाद या दावा स्वीकार्य / मान्य नहीं किया जाएगा।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार को शासकीय सेवक नहीं समझा जाएगा।
3. यह कि द्वितीय पक्षकार न तो सेवा में नियमितिकरण का हकदार होगा और न ही नियमित वेतनमान का न ही वह इस सम्बन्ध में कोई दावा करने का हकदार होगा।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार एक कैलेण्डर वर्ष में सिर्फ 13 दिन के आकस्मिक अवकाश एवं सार्वजनिक अवकाश दिनों के अलावा किसी भी प्रकार के अवकाश का हकदार नहीं होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्षकार को सरकार द्वारा समय—समय पर स्वीकृत शासकीय कार्य हेतु यात्रा भत्ता देय होगा. उक्त भत्ते के अतिरिक्त मध्यप्रदेश सरकार के अधिकारियों / कर्मचारियों के समान किसी प्रकार का लाभ अनुज्ञेय नहीं होगा न ही कोई अन्य भत्ते देय होंगे जिसकी कि सहमति द्वितीय पक्षकार द्वारा करार में अपने हस्ताक्षर से एतद्द्वारा दी गई है।
6. यह कि द्वितीय पक्षकार के विरूद्ध गंभीर शिकायत मिलने अथवा अभ्यर्थी द्वारा अवांछनीय या राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त होने अथवा कार्य के प्रति गंभीर अनियमितता पाये जाने पर किसी भी समय सेवा समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्षकार को होगा. अतः उपरोक्त किसी भी प्रकार का आरोप सिद्व होने पर द्वितीय पक्षकार की सेवायें बिना किसी सूचना के किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्षकार के पास होगा जिसका द्वितीय पक्षकार कोई दावा नहीं करेगा।

7. यह कि संविदा सेवा के दौरान द्वितीय पक्षकार किसी को गंभीर क्षति कारित करता है अथवा उसे स्वयं को कोई गंभीर क्षति होती है अथवा कोई अन्य शारीरिक विकलांगता से ग्रसित होता है अथवा आत्महत्या करता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में द्वितीय पक्षकार अथवा उसके स्थान पर उसके परिवार के सदस्यों द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार्य नहीं होगा। संविदा सेवा शर्तों के प्रतिकूल किसी अन्य स्थिति में अभ्यर्थी के परिवार के किसी भी सदस्य को अनुकम्पा आधार पर संविदा सेवा में चयन नहीं किया जाएगा, जिसके लिये द्वितीय पक्षकार का कोई दावा नहीं होगा।

8. यह कि यदि द्वितीय पक्षकार उक्त दो वर्षों की सेवा का अवसान होने के पूर्व अपनी सेवा त्यागना चाहता है तो ऐसी स्थिति में द्वितीय पक्षकार को चयन प्राधिकारी को एक माह की पूर्व सूचना देनी होगी, अन्यथा ऐसी स्थिति में ऐसे उसे एक माह का संविदा पारिश्रमिक एकमुश्त जमा कर पावती प्राप्त करनी होगी एवं प्रथम पक्षकार से अदेय प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा।

9. यह कि द्वितीय पक्षकार की सेवाएं, संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अथवा ऐसे अन्य कारणों से जिनके द्वारा वह अपने आपको सेवा के लिये अयोग्य बना लेता है, बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय सेवाएं समाप्त की जा सकेगी, ऐसी दशा में द्वितीय पक्षकार कोई दावा नहीं कर सकेगा।

10. यह कि द्वितीय पक्षकार को उसकी कार्यावधि के दौरान प्रथम पक्षकार को हुई किसी भी हानि के लिये उसके संविदा पारिश्रमिक से वसूली के लिये प्रत्याभूति/वचन –पत्र निष्पादित करना होगा।

11. यह कि इस संविदा सेवा करार में यदि कोई तथ्य रह जाता है या प्रथम पक्षकार द्वारा मध्यप्रदेश सरकार के किसी संशोधित अथवा परिवर्तित नियमों के कारण सेवा करार में जोड़ा जाता है तो ऐसी स्थिति में एक अनुपूरक करार निष्पादित किया जायेगा जो द्वितीय पक्षकार को स्वीकार्य होगा एवं जिस पर हस्ताक्षर करने हेतु द्वितीय पक्षकार बाध्य होगा।

मैंने ऊपर वर्णित करार की सेवा शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया है, अतः मेरे द्वारा इस करार को दिनांक / / दिन .... वर्ष .... को बिना किसी डर या दबाव के दो साक्षियों के समक्ष निष्पादित कर दिया है जिससे जब भी आवश्यक हो निर्दिष्ट किया जा सके।

हस्ताक्षर साक्षी :

1. हस्ताक्षर .... हस्ताक्षर ....

नाम .... प्रथम पक्षकार

पता ....

....

2. हस्ताक्षर .... हस्ताक्षर ....

नाम .... द्वितीय पक्षकार

पता ....

....

Bhopal, the 23rd July 2015

No. F-73-1-2015-XXXVIII-3.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India the Governor of Madhya Pradesh hereby, makes the following rules relating to recruitment in contract services on contract basis in Higher Education Department, Government of Madhya Pradesh, State Porject Directorate (RASHTRIYA UCHHTAR SHIKSHA ABHIYAN, namely:—

1. **Short title and commencement. -**

(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Higher Education Department, State Project Directorate **RASHTRIYA UCHHTAR SHIKSHA ABHIYAN (RUSA)** Contract Service Rules, 2015.

(2) These rules shall come into force from the date of its Publication in M.P. Gazette.

2. **Definition.-** In these rules, unless the context otherwise requires-

(a) "Contract Service" means the service as specified in these rules;

(b) "Department" means Higher Education Department, State Project Directorate Rashtriya Uchchtar Shiksha Abhiyan (RUSA) Madhya Pradesh ;

(c) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;

(d) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;

(e) "Head of the Department" means Project Director, State Project Directorate , Rashtriya Uchhatar Shiksha Abhiyan (RUSA), Madhya Pradesh, Bhopal;

(f) "Schedule" means schedule appended to these rules;

(g) "Selection Authority" means the Project Director , State Project Directorate Rashtriya Uchhatar Shiksha Abhiyan (RUSA) Madhya Pradesh;

(h) "Selected person working on contract" means a person working on contract basis under these rules;

(i) "State" means the State of Madhya Pradesh.

3. **Scope and Applicability.-** These Rules shall apply to all the persons selected and working persons on contract basis under these rules in State Project Directorate, Rashtriya Uchchtar Shiksha Abhiyan (RUSA), Madhya Pradesh.

4. **Monthly Remuneration and Allowances.-** (1) Monthly contract remuneration shall be paid to the selected person working on contract as specified in the Schedule attached to these rules.

(2) Selected person working on contract basis shall be entitled for travelling allowances, as per travelling allowance rules applicable to the officers/employees of Government of Madhya Pradesh in the following manner:-

(a) Superintending Engineer shall be paid travelling allowances equivalent to DPD (Deputy Project Director).

(b) Consultants and Section Officers shall be paid travelling allowances as permissible to that of a Assistant Director (class II officer).

(3) Selected person working on contract shall not be paid remuneration for such days for which he/she remains absent from duty.

(4) The Contract Agreement between Head of the Department and person selected shall be executed which shall be jointly signed and shall be kept in the official record.

5. **Mode of Selection.-**

(1) Post.- The number of posts shall be the same as specified in the schedule-1.

(2) Selection and Appointment.- All selections on the post from serial number 1 to 5, as specified in the schedule-1, shall be made from the select list made by a committee constituted by the department.

(3) Age Limit.- Maximum and minimum age limit for contract selection shall be computed on the 1st day of January of that year in which the contract selection is to be made. Maximum and minimum age limit shall be such as is specified in Scheduled-1 and Schedule-2.

(4) Selection of Retired Government Officers/Employees.- Retired Government Officers/Employees shall also be eligible for the selection on the contract basis in accordance with the directions issued by the Government in this behalf, from time to time, up to the age of 63 years.

(5) Minimum Educational Qualification and Eligibility.- The minimum educational qualification and eligibility for selection on contract basis shall be such as are specified in Scheduled-1 and Schedule-2.

(6) Reservation.- Provisions of reservation issued by the Government from time to time for Selection shall be applicable for these services.

(7) Advertisement.- The vacant posts shall be advertised in at least two National and two Regional level newspapers and shall be made available on the website of the Department also.

6. The period of Contract Service- The contract selection of the person shall primarily be valid for two years which may be further extended for a period of one year on the basis of his performance and work exigencies. In case of extension of the contract period, the contract remuneration of the person working on contract may be increased up to maximum of ten percent.

7. Discipline and Control during Contract Period.-

1. The person working on contract under these rules shall be required to keep good conduct during the performance of his duty.

2. The person working on contract shall have to execute guarantee/bond for recovery from his contact remuneration for any loss incurred to the Government during his period of work or any minor penalty imposed upon him.

8. Action against selected person indulges in criminal activity or misconduct.-

If selected person working on contract found involved in any criminal activity or commits any misconduct under rule 7, after giving him reasonable opportunity of being heard, his selection may be cancelled.

9. Controlling Authority.- Selected person working on contract basis shall be under the administrative control of the Project Director or any other officer authorized by him.

10. Other conditions.-

(1) Selected person shall execute an agreement in prescribed format on non-judicial stamp paper worth Rupees 100/- He/she shall began his/her contract service from the date of taking charge of his duties on the place of posting, and shall have to submit an affidavit of having good character and stating that no criminal case is pending against him/her.

(2) It shall be compulsory for the selected person who has been issued order, to take charge of his duties on the place of his posting within fifteen days, from the date issuing selection order. In case, the charge is not taken by the person within the aforesaid period the contract, selection shall automatically stand cancelled. Information of assumption of duties by the person selected on contract shall be given to Project Director. He shall have to produce the medical certificate of fitness issued by Medical Board of District Hospital/Civil surgeon on the date of his joining.

(3) Every person working on contract shall be entitled for maximum 13 days of casual leave in a calendar year and Public Holidays as declared by the Government. Women contract servant, who has two or less than two live children, she shall be entitled to get 90 days maternity Leave. The respective head of the department shall have the power to sanction such leave.

(4) If any person selected and working on contract remains absent from his duties without any specific reason or without any information for a period of more than 15 days his/her contract service shall be deemed to be automatically terminated since the date of his absence in the office.

(5) Selected person working on contract shall not be entitled for any pension benefits for the period of his/her contract services. He/she shall not be paid any bonus for such contract period.

(6) Selected person working on contract shall not be entitled for contract regularization in the Government service.

(7) Services of any person selected for contract may be terminated at any time by either party by giving one month's notice or one month's contract remuneration in lieu thereof.

(8) All other conditions of contract service shall be such as may be specified in the selection order.

11. Interpretation- If any question arises relating to the interpretation of any provision of these rules, the same shall be referred to the Government, whose decision thereon shall be final.

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. VIJAY, Dy. Secy.

SHEDULE-1

STATE PROJECT DIRECTORATE (RASHTRIYA UCHHATAR SHIKSHA ABHIYAN) PARTICULARS OF THE POSTS TO BE FILLED ON CONTRACT BASIS

S.No.	Designation	Monthly contract remunerations (in Rs.)	No. of posts	Minimum Educational Qualification and Experience	Minimum age	Maximum age	Mode of Selection
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Senior Consultant (Finance)	45,000/- per month	1	MBA Finance, 5 Yrs Experience in Consultancy/ Administrative/ HRD etc.	25	40	Through Selection Committee by the Department.
2.	Consultant (Finance/ procurement)	40,000/- per month	1	MBA Finance/ C.A. 3 Yrs Experience in Consultancy/ Administrative/ HRD etc.	25	40	Through Selection Committee by the Department.
3.	Consultant (Technical)	40,000/- per month	1	M.Tech/ M.E. in civil Engineering. 3 Yrs Experience in Consultancy/ Administrative/HRD etc.	25	40	Through Selection Committee by the Department.
4.	Consultant (Programming/ M.I.S)	40,000/- per month	1	M.Tech in Computer science, 3 Yrs Experience in Consultancy/Administrative/HRD etc.	25	40	Through Selection Committee by the Department.
5.	Consultant (Planning/ Monitoring)	40,000/- per month	1	MSW or PG Degree in Rural Development/ Social work/ Local Governance/ life skill education 3 Yrs Experience in Consultancy/ Administrative/ HRD etc.	25	40	Through Selection Committee by the Department.

SHEDULE-2

STATE PROJECT DIRECTORATE (RASHTRIYA UCHHATAR SHIKSHA ABHIYAN) PARTICULARS OF THE POSTS TO BE FILLED ON DEPUTATION/ CONTRACT BASIS

S.No.	Designation	Monthly contract remunerations (in Rs.)		No. of posts	Minimum Educational Qualification, Experience and Eligibility	Minim -um age	maximum age for retired employees	Mode of selection
		Retired Employee	On Deputation					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Superintending Engineer	Deducting Pension amount from last month salary, Balance amount to be paid	The basic salary received at the Parental Department	1	Employee/ retired person from PWD or allied works Department	-	63 years which can be extended up to 65 years	Through Selection Committee by the Department
2	Section officer	Deducting Pension amount from last month salary, Balance amount to be paid	The salary received at the Parental Department	1	Graduate and Work Experience in Store and accounts 5 Years Experience of working in Govt. office.	-	63 years which can be extended up to 65 years	Through Selection Committee by the Department

Note:- 1. The renumaration payable to Retired GOMP officers/employees shall be his/her last salary before his/her retirement, deducting his pension amount. No dearness Allowance shall be payable on the contract amount; He/she shall be allowed to get his/her pension and respective relief over it.

2. Appointing Authority shall be authorized to employ 5 Nos. of class fourth Employee on contract, at the collector rate, as fixed for the purpose, either through employment exchange or through advertisement.

3. **Appointing Authority**: - Project Director, Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) shall be the Appointing Authority. These rules shall equally be applicable to both schemes – RUSA & Reform in Higher Education (World Bank Project) of State Project Directorate.

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. VIJAY, Dy. Secy.

CONTRACT AGREEMENT

(For the selection of Contract remuneration in RUSA)

First Party : The Project Director, State Project Directorate, State Project Directorate (Rashtriya Uchhtar Shiksha Abhiyan) Madhya Pradesh, Selection Authority (hereinafter referred to as the First Party in this Deed of Contract).

Second Party : Shri/Smt./Ku...

(Selected Candidate) S/o/W/o/D/o...
Age.............................Year..........................

R/o ....

....

(Hereinafter referred to as the Second Party in this Deed of Contract)

The above parties are agreed upon the following terms and conditions and execute this agreement accordingly, namely:-

1. That the selection of the Second Party is being made on the fixed remunerations on the contract post of .... sanctioned in the State Project Directorate (RUSA) Madhya Pradesh, which shall be valid for fixed period of two years from the date of assumption of duty. dated .... The service shall be deemed to cease after the expiry of two years from the date of assumption of duty. On completion of the fixed service periods, the second Party shall not claim for regularization of his service. In such a situation no dispute or claim related with this agreement by second Party shall be accepted/entertained.
2. That the Second Party shall not be treated as Govt. servant.
3. That the Second Party shall neither be entitled for regularization in service or regular pay scale, nor he/she shall be entitled for such claim in this regard.
4. That the Second Party shall not be entitled to any kind of leave besides Casual leave of 13 days and all Public Holidays.
5. That the travelling allowance as per the Govt. rules shall be payable to the second party for the Government work. Besides the said allowance, no benefit of any kind, similar to that of the officer/employee of the Govt. of M.P., shall be permissible nor shall any other allowance be payable, concent of which is hereby given by the second party through his signature on this contract.

6. That in case of serious compliant against the second party or if the candidate is found to have indulged in unwanted or political activities or commits grave irregularity at work, the first party shall have the right to terminate his/her service at any time. Hence in case the aforesaid allegations are proved, the first party shall have the right to terminate the service of the second party without any notice regarding which the second party shall have no claim.

7. That if during the contract service, the second party causes grievous injury to anybody or if himself suffers any injury or suffers any physical disability or commits suicide or dies, than in such a situation no claim of any kind by the second party or from his family member on his behalf, shall be acceptable .Under the condition contrary to contract service rules no selection on contract service, on compassionate grounds etc.shall be made for any family member of the person or candidate for which the second party shall have no claim.

8. That if the Second Party wants to resign from the service before expiry of the said two year service, in such a situation the Second Party shall have to give prior notice of one month to the Selection Authority, otherwise he shall have to obtain receipt by depositing lump sum remuneration of one month and No-dues Certificate from the First Party.

9. That, the services of Second Party may be terminated without prior notice, any time, if found Unsatisfactory or for other reasons rendering himself to be unfit for service, in such case the Second Party shall have no claim.

10. That, the Second Party shall have to execute guarantee/bond for recovery from his contract remuneration for any loss incurred to the First Party during this period work.

11. That, if any fact remains left out of this agreement for contract service of added afterwards by the First Party due to any amended or modified rules of Government of Madhya Pradesh, then in such a Situation a supplementary contract shall be executed which shall be acceptable to Second Party and shall be binding on the Second Party to sign it.

I have carefully gone through the service conditions of above mentioned contract. Hence, I have executed this contract on this......... day of ....without any fear or pressure in the presence of two witnesses, so that it can be referred to as and when required.

Signature witnesses :-

1. Signature ....

Name.....................

Signature ....

(First Party)

Address...................

....

2. Signature ....

Name.....................

Signature ....

(Second Party)

Address...................

....

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.